न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सिमरिया।

विविध वाद संख्या–01/2019–20

प्रथम पक्षः–रेवा साव एवं अन्य, ग्राम–तेसरचप्पा, पदुमपुर, थाना–टण्डवा, जिला–चतरा।

बनाम

द्वितीय पक्षः– जगदीश तेली एवं अन्य, ग्राम–तेसरचप्पा, पदुमपुर, थाना–टण्डवा, जिला–चतरा।

1 2 3

आदेश

इस अपील वाद की प्रक्रिया अपीलार्थी रेवा साव एवं अन्य के अपील आवेदन पर प्रारम्भ किया गया। अपीलार्थी ने यह अपील वाद अंचल अधिकारी, टण्डवा के द्वारा निष्पादित विविध वाद संख्या–20/2012–13 के विरूद्ध लाया, जिसमें विपक्षी जगदीश तेली, पिता–मेघन साव एवं अन्य हैं। अपीलवाद से संबंधित भूमि की विवरणी निम्नवत् है :–

मौजा का नाम	खाता नं0	प्लॉट संख्या	रकबा (एकड़ में)	कुल रकबा
तेसर–चेपा	20	338, 343, 344, 413, 128, 339, 346, 347, 391,	0.03ए0, 0.29ए0, 0.09ए0, 0.23ए0, 0.40ए0, 0.02ए0, 0.10ए0, 0.35ए0, 0.64ए0	2.72 एकड़
	52	353, 359	0.18ए0, 0.39ए0	0.57 एकड़
कुल :–	02	12	कुल :–	3.29 एकड़

अपीलवाद की प्रविष्टि के बाद उभय पक्षों को इस न्यायालय से लिखित कथन दाखिल करने तथा राजस्व कागजात समर्पित करने हेतु पर्याप्त अवसर दिया गया। उभय पक्षों ने लिखित कथन दाखिल किया तथा रजस्व कागजात भी अपने–अपने दावे के समर्थन में दिया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुनने के बाद इसे आदेशार्थ रखा गया।

अपीलार्थी ने लिखित कथन के माध्यम से इस न्यायालय को यह अवगत कराया है कि मौजा–तेसर–चेपा, थाना–टण्डवा के खाता नं0–20, कुल रकबा–2.72 एकड़ तथा खाता नं0–52, रकबा–0.57 एकड़ भूमि सर्वे खतियान में जीतन तेली, पे0–तिलक तेली के नाम से दर्ज है। अपीलार्थीगण खतियानी रैयत के वैध वारिशान हैं। विपक्षीगण जीतन तेली, पे0–ललित तेली के वारिशान हैं, जो एक भिन्न व्यक्ति थे तथा खाता नं0–20 एवं 52 से इसका कोई वास्ता नहीं रहा है। जीतन तेली, पे0–ललित तेली, खाता नं0–71 साकिन–पदमपुर के सर्वे रैयत थे तथा उनके पुत्र मोदना तेली साकिन–तेसर चेपा में खाता नं0–68 के सर्वे रैयत थे। अपीलार्थी का कथन है कि विपक्षी ने फर्जी तरीके से खाता नं0–20 तथा 52 की भूमि का पंजी–2 में जमाबन्दी करा लिया है। इसकी भनक लगने के बाद अंचल

कार्यालय, टण्डवा में इनलोगों ने आवेदन दिया, जिसका मिस केस नं0–20/2012–13 था। अंचल अधिकारी, टण्डवा को सभी राजस्व कागजात भी दिखाया गया, लेकिन विपक्षीगण के प्रभाव में आकर अंचल अधिकारी ने उनके पक्ष में निर्णय नहीं दिया। तदुपरान्त अपीलवाद लाया गया। इन्होंने अपने दावे के समर्थन में खतियान की अभिप्रमाणित प्रति तथा शपथ–पत्र के माध्यम से दाखिल वंशावली तथा राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक का जांच प्रतिवेदन संलग्न किया है।

दूसरी ओर द्वितीय पक्ष ने लिखित कथन के माध्यम से इस न्यायालय को यह बताया है कि प्रश्नगत भू–खण्ड का खतियान जीतन तेली, पिता–तिलक तेली के नाम से दर्ज है, परन्तु पुनः लिखित कथन में उल्लेख किए हैं कि जीतन तेली के तीन पुत्र हुए– 1. मोदन तेली, 2. मोती तेली एवं 3. देवकी तेली। वारिशान की हैसियत से ये लोग जीतन तेली के नाम से चल रहा खतियानी भूमि पर दखल–कब्जा में आये। इनका कथन है कि अपीलकर्त्ता मौजा–तेसर चेपा, पंचायत–पदमपुर के खाता नं0–19 एवं 39 का उतराधिकारी हैं। खाता नं0–20 तथा 52 पर उनका कोई अधिकार नहीं बनता है। हमलोग इस भूमि पर दखल–कब्जा में हैं तथा कई वर्षों से दखल–कब्जा बना हुआ है एवं घर बाड़ी भी है। इन्होंने अपने दावे के समर्थन में वंशावली/सरकारी ऑनलाईन रसीद तथा अंचल अधिकारी के स्तर से पारित आदेश की प्रति संलग्न किया है।

इस वाद की प्रक्रिया में अंचल अधिकारी, टण्डवा के स्तर से पारित किए गये आदेश का भी अवलोकन किया। विविध वाद संख्या–20/2012–13 में दिनांक–11.01.2017 को अंचल अधिकारी ने आदेश पारित कर प्रथम पक्ष के दावा को सही नहीं माना है। मोदन तेली के नाम से प्रश्नगत भूमि की चल रही जमाबन्दी को अंचल अधिकारी ने यथावत रखा है तथा द्वितीय पक्ष के दखल–कब्जा की पुष्टि किया है। प्रथम पक्ष के दावेदारी को अंचल अधिकारी ने खारिज कर दिया है।

उभय पक्षों के दावे/प्रतिदावे से तथा अंचल अधिकारी, टण्डवा के स्तर से पारित किये गए आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि अथवा खाता नं0–20 एवं 52 की भूमि का खतियानी रैयत जीतन तेली, पे0–तिलक तेली हीं थे तथा खतियानी रैयत के वैध वारिशानों की प्रश्नगत भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता है। संलग्न वंशावली के अनुसार अपीलार्थीगण तिलक तेली के हीं वारिशान हैं। तिलक तेली के तीन पुत्र हुए। 1. कैल तेली, 2. जीतन तेली तथा 3. बलवा तेली । जीतन तेली तथा बलवा तेली को नावल्द दर्शाया गया है और अपीलार्थीगण कैल तेली के वारिशान हैं। विपक्षीगण जीतन तेली, पे0–ललित तेली के वंशवृक्ष में आते हैं। यह बात अलग है कि प्रश्नगत भूमि पर अपीलार्थीगण का दखल–कब्जा नहीं है, परन्तु खाता नं0–20 एवं 52 की पंजी–2 में जमाबन्दी

मोदन तेली, पे0–जीतन तेली के नाम से कैसे चल रहा है, अचंल अधिकारी, टण्डवा को इस पर गौर करने की आवश्यकता थी। क्योंकि हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक ने भी अपने जांच प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया था कि पंजी–2 में जमाबन्दी चलने का कोई आधार नहीं है और न हीं प्राधिकार कॉलम में इसका वर्णन है। हल्का कर्मचारी ने पंजी–2 के पृष्ठ संख्या–24/1 पर चल रही संदिग्ध जमाबन्दी को तत्काल बन्द करने का भी निर्देश की मांग अंचल अधिकारी से किया था। अंचल अधिकारी ने सभी तथ्यों को गौर नहीं किया और विपक्षीगण के पक्ष में निर्णय पारित कर दिया। अंचल अधिकारी ने अपने आदेश में यह भी उल्लेख कर दिया है कि विपक्षीगण का दावा सही है और प्रथम पक्ष का दावा नहीं बनता है। इस प्रकार के तथ्यों का वर्णन कर अंचल अधिकारी ने एक प्रकार से टाईटल डिसाईड कर दिया है, जो उनके अधिकारिता क्षेत्र के अन्दर नहीं आता है। अतः विविध वाद संख्या–20/2012–13 के अन्तर्गत दिनांक–11.01.2017 को अंचल अधिकारी, टण्डवा के स्तर से पारित किए गये आदेश को त्रुटिपूर्ण मानकर इसे निरस्त किया जाता है तथा अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाता है। अंचल अधिकारी, टण्डवा को यह भी निर्देश दिया जाता है कि वगैर सक्षम पदाधिकारी के आदेश से पंजी–2 में चल रही जमाबन्दी को तत्काल स्थगित रखेंगें तथा जिस राजस्व कर्मी के स्तर से इस प्रकार का कृत्य किया गया है, उन्हें चिन्हित् कर उनके विरूद्ध समूचित कार्रवाई का प्रस्ताव भेजेंगें। स्वत्व एवं स्वामित्व के प्रश्न पर अंसतुष्ट पक्ष सक्षम न्यायालय में भी जाने हेतु स्वतंत्र है।

लेखापित एवं संशोधित।

18/9/2023

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
सिमरिया।

18/9/2023

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
सिमरिया।

CC Bhuwo
P. 83/2023-24

P. 05/24

Digitally signed by SUNNY RAJ
Date: 2024.07.20 13:36:53 +05:30
Location: 192.168.209.12